बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

संचिका सं0–7/विविध–51/2019 ..../ पटना, दिनांक–.....................

विभागीय अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में शिक्षकों के नियोजन के संबंध में मार्गनिदेश निर्गत किए गए थे। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा की गयी। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त अधिसूचना को निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

उक्त अधिसूचना की कंडिका संख्या–2 निम्नवत् होगी :–

(1). **नियोजन हेतु अर्हता तथा शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण** :– नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग I से V) के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग VI से VIII) के लिए अलग की जायेगी। नियोजन की अर्हता संगत नियमावली–2012 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 22.08.2019 के अनुरूप होगी। उक्त नियमावली के तहत प्रशिक्षित एवं टी0 ई0 टी0 अर्हताधारित अभ्यर्थी ही नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगें। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–837 दिनांक–02.07.2019 के आलोक में बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BETET) 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के वैधता की अवधि अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नांकित तीन विषयों के शिक्षक पद के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य विषय के शिक्षक
(ख) उर्दू भाषा के शिक्षक
(ग) बंगला भाषा के शिक्षक

उपर्युक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) के शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक अर्हता बिहार पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012, (यथा संशोधित) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 22.08.2019 के अनुरूप होगी।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (मध्य विद्यालय) के लिए आवश्यकतानुसार निम्नांकित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता) :–

(i) गणित, भौतिकी, रसायन में स्नातक

अथवा

(ii) रसायन, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान में स्नातक

अथवा

(iii) बी0 सी0 ए0 योग्यताधारी

अथवा

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियावधि) विनियमन, 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, को बी0एड0 में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गयी है। तद्नरूप वैसे अभ्यर्थी, जो इन्जीनियरिंग से स्नातक, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तथा बी0एड0 एवं TET उत्तीर्ण हों, को "स्नातक गणित एवं विज्ञान" विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी।

(v) B.Sc. (Bio-Technology) एवं B.Sc. (Electronics) योग्यताधारी को विज्ञान एवं गणित विषय में मध्य विद्यालय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु उनके शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध में NCTE से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार यदि आवदेक का B.Ed. में नामांकन B.Sc. (Electronics) एवं B.Sc.

order

(Bio-Technology) शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ हो और गणित अथवा विज्ञान (भौतिकी/रसायन/जीव विज्ञान) में से कोई एक Method Paper के रुप में पढ़ा गया हो तो, उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मध्य विद्यालय में गणित/विज्ञान शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु मान्यता दी जाती है।

(ख) स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–

(i) इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो

अथवा

(ii) बी0 कॉम

(ग) स्नातक भाषा के शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता– हिन्दी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिन्दी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो तथा अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो।

(घ) संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक/शास्त्री की डिग्री)

(ङ) उर्दू शिक्षक (शैक्षणिक योग्यता–आलीम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में स्नातक)

2. इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा में यह पाया गया है कि अपरिहार्य कारणों से नियोजन की विभिन्न गतिविधियों में जिला स्तर पर विलंब के कारण समय–सीमा का अनुपालन कुछ जिलों द्वारा नहीं किया जा सका है। अतः सूचारू रूप से नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने हेतु अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 की कंडिका–1 में अंकित नियोजन हेतु समय–तालिका में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:–

नियोजन हेतु संशोधित समय तालिका

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
i	जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–25.07.2019 तक
ii	रिक्तियों का समेकन	दिनांक–29.07.2019 तक
iii	नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिनांक–03.08.2019 से 05.08.2019 तक
iv	जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण	दिनांक–09.09.2019 तक
v	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन	दिनांक–13.09.2019
vi	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	दिनांक–18.09.2019 से 17.10.2019 तक
vii	मेधा सूची की तैयारी	दिनांक–18.10.2019 से 04.11.2019 तक
viii	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	दिनांक–10.11.2019 तक
ix	मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक–14.11.2019 तक
x	मेधा सूची पर आपत्ति	दिनांक–15.11.2019 से 29.11.2019 तक
xi	आपत्तियों का निराकरण	दिनांक–04.12.2019 तक
xii	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	दिनांक–07.12.2019
xiii	जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन	दिनांक–31.12.2019 तक
xiv	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	दिनांक–04.01.2020 तक
xv	आवेदन के साथ संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण	दिनांक–06.01.2020 से 13.01.2020 तक
xvi	नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करना	दिनांक–16.01.2020 से 20.01.2020 तक

order

3. अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 में अंकित शेष प्रविष्टि यथावत् रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

उप सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–7/विविध–51/2019 1098 /   पटना, दिनांक– 22.08.19 /

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/सभी प्रमुख, पंचायत समिति/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी मुखिया ग्राम पंचायत/सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/8/19

उप सचिव,

शिक्षा विभाग।